कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या UO-8015-15 चिकित्सा अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक 30.10.2015 के क्रम में जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स सेल एवं वर्किंग ग्रुप के गठन हेतु जारी शासनादेश संख्या UO-132- पांच-9-2012-9 (200)/12 दिनांक 05.12.2012 तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 543/पांच-9-14-9 (293)/13 दिनांक 03.07.2014 एवं शासनादेश संख्या 731/पांच-9-2014-9 (293)/13 दिनांक 09.09.2014 का अवक्रमित करते हुए का निम्नलिखित समितियों/उपसमितियों का गठन निम्नवत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1-जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समितिः-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	समिति में स्तर
1.	श्री वीरेश्वर सिंह	जिलाधिकारी, महोबा	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सुनीत कुमार वार्ष्णेय	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा	संयोजक
3.	डॉ0 उदयवीर सिंह	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
4.	डॉ0 रेनू शर्मा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
5.	डॉ0 विनोद कुमार	चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चरखारी	जनपदीय सदस्य (बारी-बारी से)
	डॉ0 जी0आर0 रतमेले	चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कबरई	
	डॉ0 के0पी0 सिंह	चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पनवाड़ी	
	डॉ0 अम्बरीश राजपूत	चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुलपहाड़	
	डॉ0 पी0के0 सिंह राजपूत	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतपुर	
6.	डॉ0 एस0के0 वर्मा	स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
	डॉ0 डी0के0 सुल्लेरे	शल्य चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, महोबा	
	डॉ0 एस0पी0 सिंह	एनेस्थेटिस्ट, जिला चिकित्सालय, महोबा	
	डॉ0 के0डी0 गुप्ता	फिजीशियन जिला चिकित्सालय, महोबा	
	डॉ0 आर0पी0 मिश्रा	बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, महोबा	
7.	श्रीमती भानु अहिरवार (प्रभारी)	नर्सिंग सुपरिन्टेडेंट, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
8.	श्री इन्द्रपाल सिंह	विधिक प्रतिनिधि (शासकीय अधिवक्ता), महोबा	सदस्य
9.		एक एक्रीडेटेड प्राईवेट नर्सिंग होम/स्वच्छिक संस्था (हेल्थ केयर) के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0)/नोडल अधिकारी (क्वालिटी एश्योरेन्स), महोबा	सदस्य सचिव

जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति कर्तव्य एवं दायित्व

1. जनपद स्तर पर क्वालिटी एश्योरेन्स सम्बन्धी नीतियों एवं गाईडलाइन के सम्बन्ध मे जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के अधीक्षक/अधीक्षिका एवं क्वालिटी एश्योरेन्स टीम के सदस्यों तथा जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स यूनिट के सदस्यों का कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
2. जनपद स्तर पर लक्षित चिकित्सा स्वास्थ्य इकाईयों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानक के अनुरूप सुदृढ़ करना।
3. क्वालिटी एश्योरेंस गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :-
   - जनपद की चिकित्सा इकाईयों का भारत सरकार की निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार असेसमेंट गैप्स चिन्हित करना तथा गैप्स दूर करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
   - विभिन्न चिकित्सा इकाईयों द्वारा प्राप्त स्कोर की समीक्षा करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्णय लिया जाना।
   - विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्वालिटी सम्बन्धी महत्वपूर्ण परफर्मिंस संकेतकों (Key performance Indicators) की समीक्षा।
   - क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं विभिन्न चिकित्सा इकाईयों पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही हेतु धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव जनपदीय कार्ययोजना में सम्मिलित करना।
4. भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार चिकित्सा इकाई का सुदृढ़ीकरण करते हुए चिकित्सा इकाई द्वारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स सर्टिफिकेट प्राप्त किये जाने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये इन्सेन्टिव का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाना।
5. जनपद स्तरीय परिवार कल्याण इन्डेम्निटी उपसमितियों के कार्यों की समीक्षा निर्धारित अंतराल पर किया जाना।

रिपोर्टिंग

- समिति की समीक्षा रिपोर्ट स्टेट एन0एच0एम0 यू0पी0 की वेब साइट पर अपलोड किया जाना।
- जनपद स्तरीय चिकित्सालयों की क्वालिटी एश्योरेन्स टीम से समीक्षा रिपोर्ट साझा किया जाना।

प्रक्रिया

- जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा।
- अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त समिति के संयोजक द्वारा सदस्यों को बैठक की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व पत्र द्वारा अवगत कराया जायेगा।
- अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में समिति के संयोजक निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बैठक सम्पन्न करायेंगे। बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष महोदय को प्रेषित किया जायेगा।
- सदस्य सचिव द्वारा बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- बैठक में सदस्यों की उपस्थिति, सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिये गये निर्णय वैध होंगे।

2-जनपद स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति (इन्डेम्निटी) उप समितिः-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	समिति में स्तर
1.	श्री वीरेश्वर सिंह	जिलाधिकारी, महोबा	अध्यक्ष
2.	डॉ0 सुनीत कुमार वार्ष्णेय	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा	संयोजक
3.	डॉ0 एस0के0 वर्मा	स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
4.	डॉ0 डी0के0 सुल्लेरे	शल्य चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
5.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) महोबा	सदस्य सचिव

जनपद स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति (इन्डेम्निटी) उप समिति के कार्य एवं दायित्व

जनपद स्तर पर गठित जनपद स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उपसमिति जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति के अधीन रहते हुए नसबन्दी क्षतिपूर्ति का निस्तारण पूर्ववत् करेगी। असफल नसबन्दी केसों से सम्बन्धित क्लेम फार्मों के साथ संलग्न साक्ष्यों/अभिलेखों के अध्ययन तथा परीक्षण उपरान्त नियमानुसार सही पाये जाने की स्थिति में स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त अभिलेख राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस क्षतिपूर्ति उपसमिति को प्रेषित करेंगी। साथ ही किसी चिकित्सा इकाई स्तर पर पुरूष/महिला नसबन्दी शल्य क्रिया के कारण हुई मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्यारेंन्स समिति को सूचित करने का दायित्व जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्यारेन्स समिति के संयोजक का होगा। उक्त केसों का वैध आडिट भी जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा किया जायेगा तथा रिपोर्ट राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति को प्रेषित की जायेगी। उक्त रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यण मंत्रालय, भारत सरकार को एक माह के अंदर प्रेषित किया जाना समिति का दायित्व होगा।

जनपद स्तरीय क्षतिपूर्ति उपसमिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। उक्त बैठक में सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिए गये निर्णय वैध होंगे। उक्त उपसमिति, जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति के अधीन रहते हुए नसबन्दी क्षतिपूर्ति केसों का निस्तारण पूर्ववत करेगी।

3-जनपद स्तरीय एक्रीडियेशन एवं इम्पेन्लमेन्ट उप समितिः-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	समिति में स्तर
1.	डॉ0 सुनीत कुमार वार्ष्णेय	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा	अध्यक्ष
2.	डॉ0 एस0के0 वर्मा	स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, महोबा (इम्पैनल्ड)	सदस्य
3.	डॉ0 डी0के0 सुल्लेरे	शल्य चिकित्सक, जिला चिकित्सालय, महोबा (इम्पैनल्ड)	सदस्य
4.	डॉ0 एस0पी0 सिंह	एनेस्थेटिस्ट, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
5.	डॉ0 के0डी0 गुप्ता	फिजीशियन जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
6.	डॉ0 आर0पी0 मिश्रा	बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
7.	श्रीमती भानु अहिरवार (इन्चार्ज)	नर्सिंग सुपरिन्टेडेंट, जिला चिकित्सालय, महोबा	सदस्य
8.	डॉ0 अवनीश शिवहरे	अध्यक्ष, आई0एम0ए0, महोबा	सदस्य
9.	डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), महोबा	सदस्य सचिव

जनपद स्तरीय एक्रीडियेशन एवं इम्पेन्लमेन्ट उप समिति के कार्य एवं दायित्व :-

जनपद में निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/संस्था को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एक्रीडिएट करने तथा चिकित्सा के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को सम्बद्ध करने का उत्तरदायित्व उक्त उपसमिति का होगा। बैठक में सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिए गये निर्णय वैध होंगे तथा बैठक में एक महिला सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी।

नियम व प्रक्रिया

- जनपद स्तर पर निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/संस्था तथा निजी सेवा प्रदाताओं के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0/अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु इस समति के अध्यक्ष अधिकृत होंगे।
- निजी सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित सभी प्रकार के सत्यापन यथा सम्बद्धता हेतु स्थलीय निरीक्षण भुगतान हेतु 10 प्रतिशत सेवाओं का भौतिक सत्यापन तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य सत्यापन कार्य हेतु भी उपसमिति अधिकृत की जाती है।
- निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम/संस्था को एक्रीडिट अथवा चिकित्सा के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को सम्बद्ध करने हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम सात कार्य दिवसों के भीतर जनपद स्तरीय एक्रिडियेशन एवं इम्पेनलमेंट उपसमिति की बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है।
- उपसमिति प्रत्येक तिमाही पर जनपद में परिवार नियोजन सेवायें प्रदान करने हेतु इम्पैनल्ड चिकित्सकों एवं सेवाप्रदाताओं की सूची को अद्यतन करेंगी।
- जनपद स्तरीय एक्रीडिटेशन एवं इम्पैनलमेन्ट उपसमिति के अध्यक्ष जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

जनपद स्तरीय एक्रीडियेशन उपसमिति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-143/पांच-9-2015-9 (127)/12 दिनांक 27.01.2015 तथा शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पांच-9-2015-9 (127)/12 दिनांक 01.09.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट 1994 के तहत गठित समतियां यथावत् कार्य करती रहेंगी तथा वे वर्तमान शासनादेश से अच्छादित नहीं हैं।

(डॉ0 सुनीत कुमार वार्ष्णेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
महोबा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा

पत्रांक :मु0चि0अ0/क्वा0एश्यो0/समिति/2016-17/ 1860 दिनॉक :नवम्बर 8 , 2016

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना (सिफ्सा), 19-ए, विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, महोबा।
6. निदेशक, चिकित्सा उपचार एवं क्वालिटी एश्योरेन्स, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
9. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्वालिटी एश्योरेंस, महोबा।
10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (महिला/पुरूष) चिकित्सालय, महोबा।
11. समस्त उप/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद महोबा।
12. राज्य लीगल सेल अधिकारी, उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
13. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, जनपद महोबा।
14. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, महोबा।
15. समस्त नामित प्रतिनिधिगण, जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति/जनपद स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति इन्डेम्नटी उप समिति/जनपद स्तरीय एक्रीडिएशन एवं इम्पैनलमेण्ट उप समिति।

8.11.16

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
महोबा।